

230

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर वृत्त, रीवा (म0प्र0)



Rs. 30

R 5265-II/16

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1- रवि शंकर तिवारी  |                             |
| 2- शशि शंकर तिवारी  | पिसरान स्व0 रमा शंकर तिवारी |
| 3- अजय शंकर तिवारी  |                             |
| 4- श्रीमती इन्दिरा देवी तिवारी पत्नी स्व0 रमा शंकर तिवारी |                             |

सभी निवासी मोहल्ला धोबियाटंकी कटरा, तहसील-हुजूर, जिला रीवा  
-----आवेदकगण/पुनरीक्षणकर्ता

**बनाम**

श्री उमाशंकर तिवारी तनय स्व0 रामानुज प्रसाद तिवारी, उम्र-74 वर्ष,  
सेवा निवृत्त कर्मचारी, निवासी-दुर्गा नगर, पडरा वार्ड क्र0-3 (36),  
तहसील-हुजूर, जिला-रीवा (म0प्र0)

2- कल्पना दुबे पुत्री स्व0 रमाशंकर तिवारी पत्नी अनिल कुमार दुबे निवासी  
ग्राम समान तहसील-हुजूर, जिला-रीवा (म0प्र0) -----अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश श्रीमान् नजूल  
तहसीलदार द्वारा प्र0क्र0 25/अ-6/2015-16 में  
पारित आदेश दिनांक 03/11/2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0-1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :-

इन्दिरा तिवारी  
शशि शंकर तिवारी  
जि. प्र. 1/16

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०R.5265-II/16

जिला-रीवा

रविशंकर तिवारी/उमाशंकर तिवारी

(1)	(2)	(3)
22.08.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol> <p style="text-align: right;">मदस्थ</p> <p style="text-align: center;">V</p>	